

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

एफ एस प्रकरण संख्या 03/2023 (2023/576)

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

मुकेश मेहता पुत्र सुरेश कुमार, फर्म मैसर्स कल्पना स्पोर्ट्स एण्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, रेल्वे स्टेशन के पास, पीपाड सिटी, जिला जोधपुर। निवासी नागौरी बास, चौकरी कला, पीपाड सिटी, जिला जोधपुर।

—:आदेश :-

दिनांक :- 17.05.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 14.09.2022 को रजनीश शर्मा बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैकिंग फर्म मैसर्स कल्पना स्पोर्ट्स एण्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, रेल्वे स्टेशन के पास, पीपाड सिटी, जिला जोधपुर पहुंचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया। इस समय निर्माण इकाई पर विक्रेता व मालिक की हैसियत से मुकेश मेहता उपस्थित मिले तथा आम जनता को विक्रय हेतु लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया एवं अन्य मसालों का निर्माण कर रहे थे। उक्त खाद्य पदार्थ मालिक से वर्ष 2022 का खाद्य अनुज्ञा-पत्र मांगा, इन्होंने एफएसएसआई अनु0 12214032000423 एवं फर्म का जीएसटी प्रमाण-पत्र एवं स्वयं का पहचान पत्र पेश किया। परिसर का निरीक्षण करने पर 50 किलोग्राम के 12 पॉली बैग्स में धनिया पाउडर करीबन कुल मात्रा 600 किलोग्राम आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर का शक होने पर इसकी जांच एफ एस एस एक्ट के तहत कराने के लिए रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को प्रपत्र एवं 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र पर मेरे, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं। रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को 220 रुपये नगद देकर धनिया पाउडर 2 किलोग्राम वास्ते जांच नमूनीकरण हेतु मुकेश मेहता से एक साफ सुखे खाली नये पॉलीथीन बैग में खरीदा तथा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंगन है।

विक्रेता व गवाह के सामने धनिया पाउडर को हिला मिला कर एक रूप कर चार साफ सुखी खाली एवं साफ सुखे जारों में बराबर-बराबर मात्रा में

डालकर एयर टाईट बन्द कर इन भागों हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम-2997 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। मैने, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। इन चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम-2997 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर के नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदे तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग-अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार-चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रॉस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये, गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एम-2997 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की, असल मौका फर्द सलंगन है।

उक्त नमूना लेने के पश्चात 50 किलोग्राम के 12 बैग्स में धनिया पाउडर करीबन कुल मात्रा 598 किलोग्राम सिज्ड कर सम्पूर्ण माल को उक्त परिसर स्थित कमरें में सिज्ड एवं सिल्ड कर खाद्य कारोबारकर्ता मुकेश मेहता को जरिये प्रारूप 2 एवं प्रारूप 3 के द्वारा जब्त कर उनकी सुरक्षिता अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया।

कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एवं जिस सील से नमूना सिल्ड किया गया उसका सील इम्प्रेसन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनों को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बांधकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा स्वयं के द्वारा दिनांक

15.09.2022 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग-अलग असल सलंगन है।

एम-2997 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 14.09.2022 को एवं चतुर्थ भाग दिनांक 14.09.2022 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग-अलग मूल सलंगन हैं।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 918-919 दिनांक 27.09.2022 के साथ संलग्न खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर की मूल जांच रिपोर्ट एल. एस./1646/एक्ट/2022/1648 दिनांक 22.09.2022 मुकेश मेहता को नियम 2.4.6 (1) एवं धारा 46 (4) के तहत अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित की गई। उक्त सैम्पल की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub Standard) होना पाया गया। अप्रार्थीगण ने एफ0 एस0 एस0 एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है।, अग्रेषण पत्र मय जांच रिपोर्टे सलंगन है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुनिल जोशी ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस दिनांक 08.05.2024 को सुनी जाकर पत्रावली दिनांक 17.05.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि अप्रार्थी की निर्माण इकाई से जो सैम्पल किया गया है वह केवल और केवल एक पैकेट से लिया गया है जबकि मौके पर 12 पॉली बैग्स में धनिया पाउडर रखा हुआ था। अप्रार्थी ने जान बूझकर किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की है। अप्रार्थी पिछले कई वर्षों से मसालों का व्यापार कर रहा है लेकिन पहली बार उनका सैम्पल अमानक स्तर का आया है। अतः अप्रार्थी से पहली बार गलती हुई है तथा अप्रार्थी आदतन अपराधी नहीं है। अप्रार्थी द्वारा भविष्य में इस तरह की पुनरावर्ति नहीं होगी। बहस के अन्त में कम से कम शुल्क से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी की बहस पर मनन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी की फर्म मैसर्स कल्पना

स्पोर्ट्स्सेज एण्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज, रेल्वे स्टेशन के पास, पीपाड सिटी, जिला जोधपुर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच हेतु धनिया पाउडर का नमूना लिया गया जो जांच रिपोर्ट में निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub-standard) का होना पाया गया। जो एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन किया जो धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

अप्रार्थी मुकेश मेहता पुत्र सुरेश कुमार पर शास्ती रुपये 10,000/- अक्षरे दस हजार रुपये की आरोपित की जाती है। अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर-अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 17.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क्रमांक: कोर्ट/एडीएम/जोधपुर(ग्रामीण)/2024/ दिनांक :-

प्रतिलिपी:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. मुकेश मेहता पुत्र सुरेश कुमार, फर्म मैसर्स कल्पना स्पोर्ट्स्सेज एण्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज, रेल्वे स्टेशन के पास, पीपाड सिटी, जिला जोधपुर। निवासी नागौरी बास, चौकरी कला, पीपाड सिटी, जिला जोधपुर।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)